न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 12/2021
GCMS NO. : 2021/18

–: वादी :–

1. राज चौधरी पुत्र चैनाराम जाति– जाट, निवासी– आसरलाई, तहसली– जैतारण, जिला– पाली राज०।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. भैराराम पुत्र चैनाराम
2. सेणकी बेवा चैनाराम
जातियान– जाट, निवासीगण– आसरलाई, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
3. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.22/01/2021

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 27/12/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि राजस्व मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण जिला– पाली में स्थित खसरा नम्बर 480 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 362 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 172 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की भूमि आई हुई है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 काबिज़ खातेदार काश्तकार है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की सम्पूर्ण भूमि है। इस भूमि की चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि के नाम से जाना जायेगा। उपरोक्त वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के [illegible] कब्जा सुदा हक सुदा है पूर्व में उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] पिताजी व प्रतिवादी संख्या 02 के पति चेनाराम पुत्र भदाराम जी की [illegible] काश्त की थी तथा वादी का बचपन का नाम कालुराम ही था तथा घर एवं परिवार में कालुराम नाम से ही पुकारा जाता था तथा वादी के पिता चेनाराम जी के देहान्त होने पर जरिये नामान्तरणकरण संख्या 1308 के उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उस दौरान तत्कालीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हल्का पटवारी ने वादी के बचपन का नाम कालुराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम राज चौधरी है। तत्पश्चात इसी माफिक चौसाला जमाबन्दी में अंकन कर दिया। नकल नामान्तरणकरण संख्या 1803 की प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है। विवादित भूमि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा वादी ने राजस्थान राज पत्र साधारण साधिकार प्रकाशित करवाकर कालुराम की जगह अपना नाम राज चौधरी कर लिया है तथा इसके आधार पर वादी ने अपने पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, डाईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सभी में वादी का नाम राज चौधरी पुत्र चेनाराम जी दर्ज है। जबकि विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में कालुराम पुत्र चेनाराम जी के नाम का अंकन होने से वादी को भारी परेशानिया उठानी पड़ रही है। वादी बैंक से अपना साख पत्र नहीं बनवा पा रहा है न ही अन्य आवश्यक मिलने वाली सुविधाये ले पा रहा है। जिससे वादी को भारी नुक्शान हो रहा है। वादी ने इस प्रकार की गलत प्रविष्टि को दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार जैतारण व उनके अधीनस्थ हल्का पटवारी को सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया लेकिन उन्होने दिनांक 15.01.2021 को इस प्रकार की दुरुस्ती करने से इन्कार करते हुये न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। इस प्रकार से वादी की इस विवादित खसरान नम्बरान की भूमि में वादी के सही नाम राज चौधरी पुत्र चेनाराम के नाम का अंकन पूर्व मे दर्ज गलत नाम कालुराम पुत्र चेनाराम के स्थान पर वादी दर्ज करवाने तथा ऐसी घोषणा करवाने एवं रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का वादी अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर प्रस्तुत है। वादी ने अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 03 व हल्का पटवारी से पूर्व में भी निवेदन किया था। तब उन्होने दिनांक 15.01.2021 को ऐसी दुरुस्ती करने से इन्कार कर दिया है। जिस पर यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 03 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जिसके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन यह वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देना डिस्पेन्सविद कर यह वादपत्र अदालत श्रीमान कि अनुमति से पेश है। इस बाबत धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनाक 15.01.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के नाम से दुरुस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम आसरलाई तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्र में वादपत्र प्रस्तुत है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को बार बार आवार्जे दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया गया, प्रदर्श करवार्ये गये। बहस वकील वादी की सुनी गई।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:09 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण जिला- पाली में खसरा नम्बर 480 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 362 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 172 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादी बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन भू अभिलेख में वादी का त्रुटिपूर्ण नाम कालूराम पुत्र चेनाराम सहवन से दर्ज हो गया, जो वर्तमान में भी जारी है। वादी के पिता चैनाराम की मृत्यु उपरांत तत्कालिन राजस्व कार्मिकों द्वारा फौतदेगी नामान्तरण स्वीकृत करते समय वादी का घरेलू बोलचाल का नाम कालूराम दर्ज कर दिया। जिसे वादी शुद्ध करवानें का अधिकारी है।

2. वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र PW-1 प्रस्तुत किया तथा अन्य दस्तावेजात् प्रदर्श करवायें तथा शपथपत्र पर वादपत्र में अंकित कथनों का सत्यापन किया। प्रदर्श-1 से प्रदर्श-3 वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी में भैराराम, कालूराम पि0 चैनाराम, सेणकी पत्नी चैनाराम कौम- जाट साकिन देह खातेदार दर्ज है तथा प्रदर्श- 4 ग्राम आसरलाई की नामान्तरण की पंजिका के अंकन अनुसार खातेदार चैना पुत्र भदा फौत होने पर फौतदेगी नामान्तरण संख्या 1308 दिनांक 08.01.2004 स्वीकृत कर भैराराम, कालूराम पि0 चैना, सेणकी बेवा चैना कौम- जाट, बतौर वारिसान दर्ज किये गये। प्रदर्श-5ए राजस्थान राजपत्र प्रकाशन दिनांक 24.01.2019 की प्रति, जिसके अनुसार कालूराम पुत्र चैनाराम जाति- जाट निवासी आसरलाई तहसील- जैतारण द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर राज चौधरी पुत्र चैनाराम जाति- जाट निवासी आसरलाई तहसील- जैतारण किया गया जिसे राजस्थान राजपत्र के भाग-7 पृष्ठ 2805 पर दिनांक 24.01.2019 को प्रकाशित किया गया। प्रदर्श-6ए वादी का आधार का कार्ड, प्रदर्श-7ए सेणकी पत्नी चैनाराम का परिवार राशन कार्ड जिसमें राज चौधरी पुत्र कालूराम दर्ज है। प्रदर्श-9ए वादी की बैंक पासबुक, प्रदर्श-10ए वादी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श-11ए पैन कार्ड, प्रदर्श-12ए वादी की माता सेणकी का भामाशाह कार्ड, प्रदर्श-13ए वादी का ड्राईविंग [illegible] [illegible] वादी का पासपोर्ट, प्रदर्श-16ए वादी का जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि वादी का नाम राज चौधरी पुत्र चैनाराम दर्ज है। तथा प्रदर्श-15ए [illegible] पत्रिका में कालूराम पुत्र चैनाराम द्वारा नाम परिवर्तन कर इसके स्थान पर राज चौधरी पुत्र चैनाराम जाट निवासी आसरलाई तहसील- जैतारण किये जाने की सुचना प्रकाशित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

4. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कालूराम पुत्र चैनाराम द्वारा विधिक प्रक्रिया अपना कर अपना नाम कालूराम पुत्र चैनाराम से राज चौधरी पुत्र चैनाराम परिवर्तित कर लिया गया है तथा इसी के आधार पर पहचान से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजात् जारी करवाये है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी में अपने परिवर्तित नाम के अनुरूप भू अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज करवानें तथा इसी की अनुरूप अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण जिला– पाली में खसरा नम्बर 480 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 362 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 172 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज कालूराम पुत्र चैनाराम द्वारा विधिक प्रक्रिया अपना कर अपना नाम कालूराम पुत्र चैनाराम से राज चौधरी पुत्र चैनाराम परिवर्तित कर लिया गया है तथा इसी के आधार पर पहचान से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजात् जारी करवाये है, अतः वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज ***"कालूराम पुत्र चैनाराम"*** की प्रविष्टि को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर ***"राज चौधरी पुत्र चैनाराम"*** दर्ज करते हुए खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:30:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–ः वादी ः–	बनाम	–ः प्रतिवादीगण ः–
राज चौधरी पुत्र चैनाराम जाति– जाट, निवासी– आसरलाई, तहसली– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. भैराराम पुत्र चैनाराम 2. सेणकी बेवा चैनाराम जातियान– जाट, निवासीगण– आसरलाई, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 3. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1955 — **मु0न0 ःरा0वा0 स0ः 12/2021**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण जिला– पाली में खसरा नम्बर 480 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 362 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 172 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज कालूराम पुत्र चैनाराम द्वारा विधिक प्रक्रिया अपना कर अपना नाम कालूराम पुत्र चैनाराम से राज चौधरी पुत्र चैनाराम परिवर्तित कर लिया गया है तथा इसी के आधार पर पहचान से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजात् जारी करवाये है, अतः वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज ***"कालूराम पुत्र चैनाराम"*** की प्रविष्टि को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर ***"राज चौधरी पुत्र चैनाराम"*** दर्ज करते हुए खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह .....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/12/2021 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 18:30:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं [illegible]
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		/	महनताना वकील		/
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		/	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	07	-00	मिजानः-	-Nil-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:09 IST
Reason: SelfAttested